

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-373

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में योजनाएं

\*373. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:

श्री कनकमल कटारा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र तथा राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र में आरंभ की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उनके अंतर्गत आवंटित, संस्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई धनराशि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ग) देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत की सुविधा से वंचित घरों की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य सहित वर्ग-वार संख्या कितनी है; और

(घ) विगत दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युतीकृत किये गए गांवों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत क्षेत्र में योजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 373 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : विद्युत क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम आरंभ/शुरू किए गए हैं :

- i. **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)** : भारत सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की, जिसमें कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण एवं संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग तथा संपूर्ण देश में गांवों का विद्युतीकरण शामिल है। इसमें तत्कालीन ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को समाहित कर लिया गया है। डीडीयूजीजेवाई योजना का कुल परिव्यय 75,893.00 करोड़ रुपए है जिसमें संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार की ओर से 63,027.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, 42,676.67 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सौभाग्य के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे घरों की विद्युतीकरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सृजित करने हेतु भी 14,270.33 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। डीडीयूजीजेवाई के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में है।
- ii. **एकीकृत विद्युत विकास कार्यक्रम (आईपीडीएस)** : यह योजना भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.11.2014 को इस उद्देश्य के साथ अनुमोदित की गई थी कि शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित घटकों के साथ गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था की जा सके :
  - शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण;
  - शहरी क्षेत्रों में फीडरों/वितरण ट्रांसफार्मरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग;
  - वितरण क्षेत्र को आईटी युक्त बनाना और आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित - त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के अंतर्गत शुरू किए जा रहे वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।

आईपीडीएस योजना का कुल परिव्यय 32,612 करोड़ रुपए जिसमें संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार की ओर 25,354 करोड़ रुपए की बजटीय योजना शामिल है। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 546 सर्किलों में 32,059 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और 8,648 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

- iii. **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य** : भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों तक अंतिम छोर की कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन

उपलब्ध कराकर सभी घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 16,320 करोड़ रुपए के परियोजना से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 14017.39 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है।

डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य के अंतर्गत किसी राज्य के लिए कोई अग्रिम निधियां आबंटित नहीं हैं। डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां पूर्व परिभाषित लक्ष्य तथा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर किस्तों में जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 33,820 करोड़ रुपए का अनुदान संवितरित किया गया था। पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सौभाग्य के अंतर्गत 4,340 करोड़ रुपए संवितरित किए गए थे। सौभाग्य के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-III** में हैं।

- iv. **विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ)** : यह एक विनियामक निधि है जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और विद्युत मंत्रालय के दिनांक 10 जनवरी, 2014 के पत्र द्वारा संसूचित 'पीएसडीएफ के प्रचालनीकरण हेतु योजना' के अनुसार केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा सीईआरसी की दिनांक 9 जून, 2014 की अधिसूचना द्वारा गठित किया गया है।

पीएसडीएफ की निधियों का उपयोग निम्नलिखित श्रेणी की परियोजनाओं के लिए किया जाता है:

- अंतरराज्यीय पारेषण प्रणालियों (आईएसटीएस) तथा आईएसटीएस से जुड़ी हुई अंतःराज्यीय प्रणाली में संकुलन को समाप्त करने के लिए आवश्यक युक्तिपूर्ण पारेषण प्रणालियों का सृजन।
- ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाइल के सुधार हेतु शन्ट कैपेसिटर्स, सीरीज कम्पेंसेटर्स तथा अन्य प्रतिक्रियाशील ऊर्जा जनेरटर्स की संस्थापना।
- मानक एवं विशेष सुरक्षा योजनाओं, पायलट और प्रदर्शन परियोजनाओं, क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा ऑडिट में अभिज्ञात कमियों को ठीक करने हेतु परियोजनाओं, फेजर मापन यूनितों (पीएमयू) की संस्थापना सहित कोई संप्रेषण/मापन/निगरानी योजना इत्यादि की संस्थापना।
- संकुलन समाप्त करने के लिए पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम)
- उपर्युक्त लक्ष्य के अलावा कोई अन्य योजना/परियोजना, जैसे कि, तकनीकी अध्ययनों का संचालन एवं क्षमता निर्माण इत्यादि।

आरएलडीसी/एनएलडीसी द्वारा अनुरक्षित विनियामक पूल लेखों से संचयी रूप से **15,329.04 करोड़ रुपए (31.05.2019 की स्थिति के अनुसार)** की संचयी राशि विद्युत मंत्रालय के माध्यम से लोक लेखे में अंतरित की गई है।

अब तक 11282.41 करोड़ रुपए के स्वीकृत अनुदान से पीएसडीएफ वित्तपोषण के लिए 140 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। पीएसडीएफ के अंतर्गत महाराष्ट्र तथा राजस्थान सहित स्वीकृत एवं जारी की गई अनुदान राशि तथा के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-IV** में हैं।

v. एनईआर राज्यों के लिए निम्नलिखित दो वितरण सुदृढीकरण योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनकी कार्यान्वयन एजेंसी पावरग्रिड है:

क) छ: (6) राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा नागालैंड) के लिए 1 दिसंबर, 2014 को 5,111.33 करोड़ की अनुमानित लागत से अंतःराज्यीय पारेषण एवं वितरण प्रणालियों (33 केवी और उससे अधिक) के सुदृढीकरण के लिए **पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी)** स्वीकृत की गई। इस परियोजना का वित्त-पोषण विद्युत मंत्रालय के बजट के माध्यम से भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा 50:50 आधार पर करने हेतु अनुमोदन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, पावरग्रिड 2,040.31 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें से 31 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,367.69 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

ख) निम्नलिखित ब्रेकअप के अनुसार, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को 4,754.42 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण एवं वितरण के सुदृढीकरण हेतु व्यापक योजना** स्वीकृत की गई थी:

- i. अरुणाचल प्रदेश के लिए : 373.64 करोड़ रुपए के परामर्शी शुल्क सहित 3,199.45 करोड़ रुपए
- ii. सिक्किम के लिए : 171.82 करोड़ रुपए के परामर्शी शुल्क सहित 1,554.97 करोड़ रुपए

परियोजना की संपूर्ण लागत का वहन विद्युत मंत्रालय की योजना स्कीम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत, पावरग्रिड को 1,564.25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है जिसमें 31 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,211.91 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

vi. **नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंध केंद्र** : विभिन्न राज्यों अर्थात कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश (दक्षिणी क्षेत्र); गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश (पश्चिमी क्षेत्र) तथा राजस्थान (उत्तरी क्षेत्र) में पूर्वानुमान एवं शिड्यूलिंग के साथ-साथ आरई पावर के प्रबंधन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंध केंद्र (आरईएमसी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 409 करोड़ रुपए स्वीकृत लागत से 11 आरईएमसी नियंत्रण केंद्र (पश्चिमी क्षेत्र-4, दक्षिणी क्षेत्र-4 और उत्तरी क्षेत्र-3) अनुमोदित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत क्षेत्र-वार व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:

दक्षिणी क्षेत्र	- 10.83 करोड़ रुपए
पश्चिमी क्षेत्र	- 20.25 करोड़ रुपए
उत्तरी क्षेत्र	- 4.76 करोड़ रुपए

vii. **ऊर्जा संरक्षण योजना** : ऊर्जा संरक्षण योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को ऊर्जा के कुशल प्रयोग एवं इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य निर्दिष्ट एजेंसियों (एसडीए) के सुदृढीकरण और राज्य ऊर्जा

संरक्षण निधि (एसईसीएफ) के लिए अंशदान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत जारी निधियों और इनके प्रयोग के ब्यौरे **अनुबंध-V** में हैं।

- viii. **उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)** : भारत सरकार द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय तथा प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए नवंबर, 2015 में शुरू की गई थी। अभी तक उदय के अंतर्गत महाराष्ट्र तथा राजस्थान सहित 27 राज्यों एवं 5 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने भारत सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। उदय परियोजना वित्तपोषण योजना नहीं है।
- ix. **राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना** : भारत सरकार ने वितरण क्षेत्र में, वितरण परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सरकारी तथा निजी युटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋण पर सुधार उपायों से संबद्ध ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराते हुए पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना का अनुमोदन किया था। यह योजना संपूर्ण देश में लागू होगी और सभी वितरण परियोजनाएं (आर-एपीपीडीआरपी तथा आरजीजीवीवाई को छोड़कर) शामिल की जाएंगी। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता/आरईसी लिमिटेड (नोडल एजेंसी) की सिफारिश और इसके बाद सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति के अनुमोदन के आधार पर पात्र वितरण कंपनियों को ब्याज सब्सिडी जारी की जाती है। ब्याज सब्सिडी नोडल एजेंसी अर्थात आरईसी लिमिटेड को जारी की जाती है ताकि इसे संबंधित वितरण कंपनियों को जारी किया जा सके। **अनुबंध-VI** के अनुसार, अभी तक योजना के अंतर्गत विभिन्न वितरण कंपनियों को 208.07 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

(ग) : सभी राज्यों ने 31.03.2019 स्थिति के अनुसार, सौभाग्य पोर्टल पर छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 18,734 घरों को छोड़कर, सभी घरों के विद्युतीकरण की घोषणा कर दी है। अब राजस्थान ने 1 जुलाई, 2019 को सूचित किया है कि राज्य में 1,45,528 गैर-विद्युतीकृत घर हैं।

(घ) : माननीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त, 2015 को राष्ट्र के अपने संबोधन में यह घोषणा की कि देश के शेष गैर-विद्युतीकृत गांव अगले 1000 दिनों के भीतर विद्युतीकृत कर दिए जाएंगे। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लक्ष्य तिथि से काफी पहले, 28 अप्रैल, 2018 को देश में सभी आबादी वाले जनगणना गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान, देशभर में कुल 5,251 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव विद्युतीकृत किए गए थे।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

"विद्युत क्षेत्र में योजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के तहत राज्य-वार संवितरित निधियां  
(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31.05.2019 तक)	कुल
1	आंध्र प्रदेश	128	165	175	3	471
2	अरुणाचल प्रदेश	101	81	160		342
3	असम	598	401	1088	24	2110
4	बिहार	1292	763	2412	117	4584
5	छत्तीसगढ़	126	552	79	21	777
6	गुजरात	110	143	181		435
7	हरियाणा		45	22		67
8	हिमाचल प्रदेश			15		15
9	जम्मू और कश्मीर		65	542	21	629
10	झारखंड	327	862	1362	10	2561
11	कर्नाटक	145	204	451	50	850
12	केरल	134	87	57		278
13	मध्य प्रदेश	421	600	952	5	1977
14	महाराष्ट्र	257	143	481.67	5.34	887
15	मणिपुर	36	33	41	0	111
16	मेघालय	26	58	155	118	355
17	मिजोरम	14	42	35		91
18	नागालैंड	21	24	55		100
19	ओडिशा	1079	366	1360	36	2841
20	पंजाब		15	42		57
21	राजस्थान	347	782	1246	17	2391
22	सिक्किम		18	21		39
23	तमिलनाडु	110	2	244		356
24	तेलंगाना	27	60	61		148
25	त्रिपुरा	78	62	112		251
26	उत्तर प्रदेश	2262	3149	3560	3	8974
27	उत्तराखंड	16	33	270		319
28	पश्चिम बंगाल	273	241	1281		1795
29	गोवा			3.27		3
30	दादरा व नागर हवेली			1		1
31	पुडुचेरी	1		0		1
32	अंडमान निकोबार		1			1
	<b>कुल योग</b>	<b>7930</b>	<b>8997.40</b>	<b>16464</b>	<b>429</b>	<b>33820</b>

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

"विद्युत क्षेत्र में योजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**आईपीडीएस के तहत संस्वीकृति/संवितरण स्थिति**

(करोड़ रुपए में)

राज्य	संस्वीकृत राशि संचयी	संवितरित राशि 16-17	संवितरित राशि 17-18	संवितरित राशि 18-19	संवितरित राशि 19-20	संवितरित राशि संचयी
हरियाणा	447	24	13	30	0	66
हिमाचल प्रदेश	190	9	2	21	0	33
जम्मू और कश्मीर	521	3	35	0	0	38
पंजाब	465	20	29	20	0	69
राजस्थान	1681	130	99	0	0	229
उत्तर प्रदेश	5427	631	635	1008	20	2380
उत्तराखंड	725	16	33	87	0	136
दिल्ली	198	0	0	33	0	33
मध्य प्रदेश	1803	101	71	123	170	470
गुजरात	1334	175	130	120	0	453
छत्तीसगढ़	656	0	40	1	0	71
महाराष्ट्र	2580	197	160	81	32	470
गोवा	84	0	2	0	0	2
आंध्र प्रदेश	941	67	232	18	0	349
तेलंगाना	769	39	70	223	0	333
कर्नाटक	1514	69	130	350	37	586
केरल	736	108	0	0	0	108
तमिलनाडु	1854	29	250	24	0	304
पुडुचेरी	22	0	0	4	0	4
अंडमान व निकोबार द्वीप	18		1	0	0	1
बिहार	3161	321	20	18	266	640
झारखंड	790	44	89	160	0	292
पश्चिम बंगाल	3059	112	319	45	545	1086
ओडिशा	1238	183	0	247	126	555
असम	742	0	103	0	4	157
अरुणाचल प्रदेश	159	13	0	0	0	13
नागालैंड	138	4	7	8	12	31
मणिपुर	157	21	0	64	0	96
मेघालय	108	5	0	9	0	15
मिजोरम	111	12	0	3	5	20
सिक्किम	161	0	1	9	0	10
त्रिपुरा	221	0	8	6	14	34
<b>कुल</b>	<b>32059</b>	<b>2333</b>	<b>2479</b>	<b>2713</b>	<b>1230</b>	<b>9081</b>

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-III**

"विद्युत क्षेत्र में योजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

स्कीम की शुरुआत अर्थात् 11.10.2017 से सौभाग्य के अंतर्गत संवितरित राज्य-वार अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	2019-20 (31.05.2019 तक)	कुल
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	139	2	141
2.	असम	42	403	-	445
3.	बिहार	115	199	-	314
4.	छत्तीसगढ़	43	219	-	262
5.	हिमाचल प्रदेश	-	1	3	4
6.	जम्मू और कश्मीर	2	51	-	53
7.	झारखंड	70	83	-	152
8.	केरल	15	-	-	15
9.	मध्य प्रदेश	260	147	-	407
10.	महाराष्ट्र	15	140	7	162
11.	मणिपुर	6	35	-	41
12.	मेघालय	-	98	41	139
13.	मिजोरम	-	35	-	35
14.	नागालैंड	5	34	-	39
15.	ओडिशा	76	168	-	245
16.	राजस्थान	-	103	17	120
17.	त्रिपुरा	-	237	-	237
18.	उत्तर प्रदेश	864	523	-	1,387
19.	उत्तराखंड	13	22	-	36
20.	पश्चिम बंगाल	14	73	20	107
कुल		1,541	2,709	91	4,340

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-IV**

"विद्युत क्षेत्र में योजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

(करोड़ रुपए में)

पीएसडीएफ से वित्तपोषित स्कीम की राज्य-वार स्थिति					
6/30/2019					
क्रम सं.	राज्य	अनुमोदित प्रस्ताव	स्वीकार्य अनुमानित लागत	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान
1	आंध्र प्रदेश	5	492.50	329.26	123.39
2	अरुणाचल प्रदेश	2	20.18	20.18	0.00
3	असम	3	356.15	356.15	146.72
4	बिहार	3	147.02	132.32	61.70
5	छत्तीसगढ़	3	219.46	139.16	0.00
6	दिल्ली	1	125.98	113.38	49
7	गुजरात	9	670.36	400.70	30.62
8	हरियाणा	2	539.78	360.95	28.35
9	हिमाचल प्रदेश	3	98.48	89.14	37.62
10	जम्मू व कश्मीर	2	286.15	286.15	98.86
11	झारखंड	2	198.20	160.49	39.04
12	कर्नाटक	3	340.54	205.06	76.76
13	केरल	6	726.76	581.80	395.09
14	मध्य प्रदेश	8	601.31	375.69	68.62
15	महाराष्ट्र	11	237.96	191.85	21.59
16	मणिपुर	4	57.26	53.19	31.90
17	मेघालय	4	107.06	107.06	77.15
18	मिजोरम	2	28.81	28.81	23.87
19	नागालैंड	2	42.08	42.08	32.90
20	ओडिशा	6	330.83	277.58	53.556
21	पुडुचेरी	2	17.93	13.19	0.95
22	पंजाब	4	133.54	93.74	15.11
23	राजस्थान	6	969.12	570.22	130.09
24	सिक्किम	1	20.00	10	0
24	तमिलनाडु	8	694.76	500.9	93.11
25	तेलंगाना	5	359.34	247.73	99.43
26	त्रिपुरा	2	31.05	33.37	26.1
27	उत्तर प्रदेश	4	385.54	325.49	136.13
28	उत्तराखंड	2	162.51	143.78	103.62
29	पश्चिम बंगाल	8	482.28	395.06	125.51
30	केंद्रीय क्षेत्र	17	7884.95	4697.93	4321.794
	<b>कुल</b>	<b>140</b>	<b>16767.89</b>	<b>11282.41</b>	<b>6448.57</b>

\*\*\*\*\*

"विद्युत क्षेत्र में योजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

एसडीए को जारी निधियों और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है

क्रम सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम	एसडीए का सुदृढीकरण			
		जारी की गई निधि		उपयोग की गई निधि (30.06.2019 की स्थिति के अनुसार)	
		2016-19	2019-20 (8 जुलाई, 2019 को)	2016-19	2019-20
		लाख रुपए में			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	326.06	15.00	290.16	0.00
2	आंध्र प्रदेश	253.33	80.00	100.14	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	285.00	65.00	248.00	0.00
4	असम	170.00	67.00	114.37	0.00
5	बिहार	177.00	15.00	136.20	0.00
6	चंडीगढ़	34.00	15.00	4.28	0.00
7	छत्तीसगढ़	208.75	55.80	129.07	0.00
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	75.00	5.50	14.00	0.00
10	दिल्ली	58.00	40.00	12.70	0.00
11	गोवा	42.00	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	217.00	60.00	184.15	0.00
13	हरियाणा	177.34	55.00	123.88	0.00
14	हिमाचल प्रदेश	99.00	42.50	7.27	0.00
15	जम्मू और कश्मीर	46.50	0.00	0.00	0.00
16	झारखंड	119.10	0.00	0.00	0.00
17	कर्नाटक	370.00	40.00	213.80	0.00
18	केरल	389.10	75.00	364.10	0.00
19	लक्षद्वीप	32.00	29.00	19.23	0.00
20	मध्य प्रदेश	179.00	76.50	176.90	0.00
21	महाराष्ट्र	254.00	50.00	21.00	0.00
22	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	124.00	47.50	83.66	0.00
24	मिजोरम	148.50	53.00	135.62	0.00
25	नागालैंड	197.00	53.00	197.00	0.00
26	ओडिशा	117.40	0.00	114.77	0.00
27	पुडुचेरी	146.10	91.00	26.10	0.00
28	पंजाब	283.00	55.00	283.00	0.00
29	राजस्थान	95.00	10.00	45.27	0.00
30	सिक्किम	113.00	67.00	100.00	0.00
31	तमिलनाडु	134.00	10.00	0.00	0.00
32	तेलंगाना	291.31	81.00	240.51	0.00
33	त्रिपुरा	144.70	35.00	62.58	0.00
34	उत्तर प्रदेश	249.86	100.00	157.15	0.00
35	उत्तराखंड	277.50	70.00	182.51	0.00
36	पश्चिम बंगाल	175.15	84.00	118.56	0.00

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-VI**

"विद्युत क्षेत्र में योजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) स्कीम के तहत जारी की गई ब्याज सब्सिडी दर्शाने वाला विवरण**

राज्य	यूटिलिटी/डिस्कॉम	ब्याज सब्सिडी (लाख रुपए में)
कर्नाटक	सेसकॉम	732.78859
	मेसकॉम	127.6458
	बेसकॉम	5269.05
	हेसकॉम	260.89
	कुल	6390.37439
पंजाब	पीएसपीसीएल	97.84
हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	388.09
	यूएचबीवीएनएल	380.68
	कुल	768.77
गुजरात	एमजीवीसीएल	367.86
मध्य प्रदेश	एमपीपीओकेवीवीसीएल	239.77
	एमपीएमकेवीसीएल	3.33
	कुल	243.1
पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	1824.11
आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल	843.49
	एपीईपीडीसीएल	114.29432
	कुल	957.78432
तेलंगाना	टीएसएसपीडीसीएल	1544.27498
	टीएसएनपीडीसीएल	154.43
	कुल	1698.70498
महाराष्ट्र	बीईएसटी	420.1
	एमएसईडीसीएल	4475.95
	कुल	4896.05
राजस्थान	एवीवीएनएल	623.79649
	जेडीवीवीएनएल	1599.11
	जेवीवीएनएल	1010.83424
	कुल	3233.74073
उत्तराखंड	यूपीसीएल	267.08
छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	62.04
<b>कुल जोड़</b>		<b>20807.45442</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-376

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत एक्सचेंज

\*376. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत/ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत एक्सचेंजों की स्थापना की है क्योंकि इस क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष दबावग्रस्त आस्तियां बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत एक्सचेंजों के आरम्भ होने से इस क्षेत्र का घाटा कम करने में सहायता मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन विद्युत एक्सचेंजों की स्थापना करके वांछित उद्देश्य/परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत एक्सचेंज" के बारे में लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 376 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) से (ड) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 के अनुसार, उपयुक्त आयोग विद्युत में यथानिर्धारित तरीके से बाजार के विकास (ट्रेडिंग सहित) को बढ़ावा देने के प्रयास करेगा। पावर एक्सचेंज एक बाजार अवसंरचना संस्था है जो विद्युत में ट्रेडिंग के लिए उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक बाजार उपलब्ध कराती है। देश में दो पावर एक्सचेंज अर्थात् इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स) तथा पावर एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) हैं, जो वर्ष 2008 में स्थापित की गई थीं।

देश भर में फैली हुई सभी वितरण कंपनियों, आईपीपी सहित उत्पादन यूटिलिटियां, ट्रेडर्स तथा खुली पहुंच उपभोक्ता अपनी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक्सचेंजों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। पावर एक्सचेंजों द्वारा अपनाए गए एक सुदृढ़ भुगतान सुरक्षा तंत्र के कारण भुगतान में कोई चूक/देरी नहीं होती है।

पावर एक्सचेंजों ने संकटग्रस्त ताप विद्युत संयंत्रों (पीपीए रहित) को पावर एक्सचेंजों के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हुए उनके पुनरुद्धार में सहायता करने में मुख्य भूमिका भी निभाई है। भारत में पावर एक्सचेंजों में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का पता लगाया जाता है। पावर एक्सचेंजों का कारोबार कुल उत्पादन का लगभग 3.5%-4% है।

पावर एक्सचेंजों के माध्यम से विद्युत के कारोबार के भारित औसत मूल्य तथा मात्रा से संबंधित वर्ष दर वर्ष आंकड़े अनुबंध में हैं। पावर एक्सचेंजों के माध्यम से विद्युत के कारोबार की मात्रा वर्ष 2008-09 से 2018-19 के दौरान 34% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है, जबकि पावर एक्सचेंजों के माध्यम से विद्युत के कारोबार का भारित औसत मूल्य वर्ष 2008-09 में 7.49 रु. प्रति केडब्ल्यूएच से घटकर वर्ष 2018-19 में 4.26 रु. प्रति केडब्ल्यूएच हो गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत एक्सचेंज" के बारे में लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 376 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ड) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से विद्युत कारोबार की भारित औसत कीमत और मात्रा के वर्ष दर वर्ष आंकड़े:

वर्ष	विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से किए गए विद्युत कारोबार की मात्रा* (बीयू)	विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से किए गए विद्युत कारोबार की भारित औसत कीमत (₹./केडब्ल्यूएच)
2008-09	2.77	7.49
2009-10	7.19	4.96
2010-11	15.52	3.47
2011-12	15.54	3.57
2012-13	23.54	3.67
2013-14	30.67	2.90
2014-15	29.40	3.50
2015-16	35.01	2.72
2016-17	41.12	2.50
2017-18	47.70	3.45
2018-19	53.52	4.26

\* आईईएक्स और पीएक्सआईएल, दोनों ही पावर एक्सचेंजों में डे अहेड और टर्म अहेड मार्केट के माध्यम से शामिल किए गए विद्युत कारोबार की मात्रा

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4115

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत हिस्से में वृद्धि

4115. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र की केंद्रीय विद्युत इकाइयों के आवंटित हिस्से में बिहार राज्य का विद्युत हिस्सा बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कितने मेगावाट की वृद्धि हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : केंद्रीय उत्पादन स्टेशन (सीजीएस) से बिहार को आवंटित विद्युत का हिस्सा 31.03.2014 को 1918 मेगावाट से बढ़कर 31.05.2019 को 3709 मेगावाट हो गया है। इस प्रकार, सीजीएस से विद्युत का आवंटन 1791 मेगावाट बढ़ा है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4126

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में राजसहायता

\*4126. श्री चन्द्र शेखर साहू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में प्रत्येक गरीब परिवार को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विद्युत वितरण कंपनियों के नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा सुझाए गए हैं;
- (ग) क्या विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से राजसहायता प्रदान करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) विद्युत क्षेत्र में राजसहायताओं को सुचारू रूप प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) क्या एक तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ताकि विद्युत की कीमत में कटौती करने के लिए सबसे कुशल संयंत्रों का सबसे पहले उपयोग किया जा सके और यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक संपूर्ण देश में ग्रामीण क्षेत्रों में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को कनेक्शन उपलब्ध कराकर घरों के सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, गरीब

घरों को निःशुल्क कनेक्शन दिए जाते हैं और दूसरों से 500 रुपए प्रति कनेक्शन 10 समान मासिक किश्तों में बिल के साथ वसूल किए जाएंगे।

**(ख) :** भारत सरकार ने यूटिलिटीयों के प्रचालनात्मक और वित्तीय टर्नआउंड के लिए नवंबर, 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की थी। डिस्कॉम हानियों को कम करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें बिलिंग, वसूली तथा डिस्कॉमों के समग्र निष्पादन की कड़ी निगरानी, अधिक एटीएंडसी हानियों वाले प्रभागों को अभिचिह्नित करना तथा एटीएंडसी हानियों को कम करने में यूटिलिटीयों का क्षमता निर्माण शामिल है। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) जो अवसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ हानियों को कम करने में उनकी सहायता करती हैं, जैसी योजनाओं के जरिए राज्यों की सहायता करती है।

**(ग) और (घ) :** विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) के उपबंधों के अनुसार खुदरा आपूर्ति टैरिफ संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। अधिनियम की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकारें एसईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं की श्रेणी को सब्सिडी दे सकती हैं। विद्यमान टैरिफ नीति में प्रावधान है कि सभी को टैरिफ में क्रॉस सब्सिडी देने के तंत्र की अपेक्षा उपभोक्ताओं के कमजोर वर्गों को सहायता करने के लिए सीधे सब्सिडी देना एक बेहतर तरीका है।

**(ङ) :** वर्तमान में विद्युत का प्रापण वितरण लाइसेंसियों द्वारा मैरिट आर्डर डिस्पैच के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 31.01.2019 को अखिल भारत अंतर राज्य उत्पादन स्टेशनों के लिए सिक्वोरिटी कनस्ट्रेन्ड इकोनॉमिक डिस्पैच (एससीईडी) तंत्र जारी किया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4128

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन इकाई

4128. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम और केन्द्रीय सरकार के संयुक्त उद्यम की एक लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन इकाई स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है;

(ग) उक्त इकाई की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है; और

(घ) उक्त इकाई को कब तक स्थापित किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : घाटमपुर, कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश में लिग्नाइट आधारित कोई विद्युत उत्पादन इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में घाटमपुर तहसील में 1980 मेगावाट (3x660 मेगावाट) क्षमता की एक सुपर क्रिटिकल कोयला प्रज्वलित विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। यह परियोजना मैसर्स नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) जो नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) (उत्तर प्रदेश सरकार) का एक संयुक्त उद्यम है।

(ख) : वर्तमान में, विद्युत संयंत्र उपस्कर संस्थापन प्रगति पर है।

(ग) : एनयूपीपीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 17,237.80 करोड़ रुपए है जिसमें एनसीएल इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के शेयर क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत हैं।

(घ) : विद्युत संयंत्र की तीन इकाईयां नीचे दिए अनुसार चालू करने का कार्यक्रम है:

- i. यूनिट-1 - 26.11.2020
- ii. यूनिट-2 - 26.05.2021
- iii. यूनिट-3 - 26.11.2021

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4129

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

एसएमएडीएचएन (समाधान)

4129. श्री कानुमुरु रघु राम कृष्णराजू:

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार विद्युत संयंत्रों की संकटाधीन परिसंपत्तियों की बिक्री या अधिग्रहण के प्रस्ताव पर परिसंपत्ति प्रबंधन और ऋण परिवर्तन संरचना योजना (समाधान) लेकर आई है ताकि उनकी तरलता को रोका जा सके;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या योजना को अंतिम रूप देने का कार्य एसबीआई को सौंपा गया है और यदि हां, तो इसकी स्थिति क्या है;
- (घ) उक्त योजना के अंतर्गत कितने विद्युत संयंत्रों पर विचार किया गया था; और
- (ङ) आज की तारीख के अनुसार उक्त योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : इस प्रकार की परिसंपत्तियों से वसूली प्रयासों को अधिकतम करने के उद्देश्य से एक पारदर्शी मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया से विद्युत क्षेत्र में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करने के प्रयोजन से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन तथा ऋण परिवर्तन संरचना (समाधान) की एक योजना सुझाई गई है। इस योजना में प्रवर्तकों के सहयोग और सहमति से योजना के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है।

(घ) और (ङ) : इस योजना के अंतर्गत, कुल 14 विद्युत संयंत्रों पर विचार किया गया था। इन लेखाओं में शुरू की गई/शुरू की जा रही समाधान प्रक्रिया का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	शुरू की गई/शुरू की जा रही समाधान प्रक्रिया	लेखाओं की संख्या
पहले से ही कार्यान्वित समाधान		
1.	प्रबंधन में परिवर्तन	1
प्रक्रियाधीन समाधान		
2.	विद्यमान प्रवर्तकों के साथ एकबारगी समझौता (ओटीएस)	3
3.	प्रबंधन का परिवर्तन	3
4.	उन्हीं प्रवर्तकों के अधीन पुनर्संरचना	3
5.	एनसीएलटी को संदर्भित/स्वीकार किए गए	4
	लेखाओं की कुल संख्या	14

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4132

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

विद्युतीकृत गांव की परिभाषा

4132. डॉ. शशि थरूर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत विद्युतीकरण गांवों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उपरोक्त गांवों की संख्या में से हर घर में बिजली के कनेक्शन वाले गांवों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या एक गांव को तब विद्युतीकृत माना जाता है जब गांव में केवल 10 प्रतिशत घर विद्युतीकरण हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का विचार एक विद्युतीकृत गांव की परिभाषा बदलकर उसमें 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण को शामिल करने का है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28-4-2018 तक संपूर्ण देश में सभी आवासित जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1.4.2005 को देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव थे। राज्यों द्वारा बाद में 1,227 अतिरिक्त गांव गैर-विद्युतीकृत सूचित किए गए थे। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान 1305 गांव बिना बसावट वाले/स्थायी ग्रेजिंग रिजर्व पाए गए तथा शेष 18,374 गांव विद्युतीकृत किए गए थे। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

भारत सरकार ने 31 मार्च, 2019 तक संपूर्ण देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्र में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन को उपलब्ध कराकर सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण को हासिल करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की थी। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में स्थित 18,734 घरों को छोड़कर सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल में सभी घरों का विद्युतीकरण घोषित कर दिया है।

(ग) : 11.10.2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत के पश्चात गांव के विद्युतीकरण की परिभाषा का अब कोई महत्व नहीं है। इस योजना में संपूर्ण देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर की कनेक्टिविटी तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

(घ) और (ङ) : उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4132 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में विद्युतीकरण की स्थिति (राज्य-वार)

क्रम सं.	राज्य	01.04.2015 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	राज्यों द्वारा बाद में सूचित किए गए अनुसार गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	कुल गैर-विद्युतीकृत गांव	गैर-आवासित पाए गांव/स्थायी ग्रेजिंग रिजर्व	विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या
1	2	3	4	5=(3)+(4)	6	7=(5)-(6)
1.	अरुणाचल प्रदेश	1578	77	1655	172	1483
2.	असम	2892		2892	160	2732
3.	बिहार	2747	267	3014	108	2906
4.	छत्तीसगढ़	1080		1080	2	1078
5.	हिमाचल प्रदेश	35		35	7	28
6.	जम्मू और कश्मीर	134		134	5	129
7.	झारखंड	2525	120	2645	62	2583
8.	कर्नाटक	39		39		39
9.	मध्य प्रदेश	472		472	50	422
10.	महाराष्ट्र		88	88	8	80
11.	मणिपुर	276	95	371	5	366
12.	मेघालय	912	154	1066	15	1051
13.	मिजोरम	58		58	4	54
14.	नागालैंड	82		82	4	78
15.	ओडिशा	3474	386	3860	579	3281
16.	राजस्थान	495		495	68	427
17.	त्रिपुरा	26		26		26
18.	उत्तर प्रदेश	1529	22	1551	53	1498
19.	उत्तराखंड	76	18	94	3	91
20.	पश्चिम बंगाल	22		22		22
	<b>कुल</b>	<b>18452</b>	<b>1227</b>	<b>19679</b>	<b>1305</b>	<b>18374</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4142

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण

4142. श्री निहाल चन्द:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के कारण होने वाले प्रदूषण का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;
- (ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस प्रदूषण के कारण हुए, जान-माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा कोयला आधारित बिजलीघरों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के कारण प्रदूषण का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भी सूचित किया है कि देश में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के कारण प्रदूषण का मूल्यांकन करने के लिए इसमें कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) : सरकार ने देश में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने 07 दिसंबर, 2015 और संशोधन 28 जून, 2018 को ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पार्टिकुलेट मैटर सल्फर डाई ऑक्साइड (SO<sub>x</sub>), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO<sub>x</sub>), जल खपत तथा मरकरी के लिए नए पर्यावरणात्मक मानदंड अधिसूचित किए थे।
- (ii) देश में बाधारहित विद्युत आपूर्ति स्थिति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा पणधारकों के परामर्श से 1,61,402 मेगावाट (414 यूनिटें) की क्षमता के लिए संयंत्रों में फ्लू गैस डि-सल्फराइजेशन (एफजीडी) की संस्थापना के लिए तथा 64,525 मेगावाट (222 यूनिटें) की क्षमता के लिए संयंत्रों में इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के उन्नयन के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना (2022 तक पूरी की जानी है) तैयार की गई है तथा यह योजना 13.10.2017 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सीईए द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों को निर्देश जारी किए हैं।
- (iii) सभी निर्माण कार्यकलापों में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से 300 किलोमीटर के भीतर फ्लाई ऐश का प्रयोग एमओईएफएंडसीसी की दिनांक 25.01.2016 की अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4153

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

सौभाग्य की कवरेज

4153. श्री भगवंत खुबा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य के तहत विद्युतीकरण हेतु शामिल गांवों का कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में बिजली की अनुमानित आवश्यकता का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में उपलब्ध बिजली की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा विद्युत हानि संबंधी मुद्दे का समाधान करने के लिए मात्रा और राजस्व के संदर्भ में पारेषण और वितरण के दौरान विद्युत के नुकसान संबंधी किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सार्वभौमिक घर विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य आरंभ की थी। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 11.10.2017 को स्कीम की शुरुआत से कर्नाटक सहित पूरे देश में 31.03.2019 तक 2.628 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संस्थापित क्षमता मौजूद है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, 177.022 गीगावाट की औसत व्यस्ततम मांग के साथ देश की कुल संस्थापित क्षमता 356.100 गीगावाट है।

(ग) : उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) पोर्टल पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2018-19 में भारत के लिए अनंतिम सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि 18.29 प्रतिशत थी।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4153 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

11.10.2017 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान सौभाग्य पोर्टल के अनुसार घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	1,745,149
4	बिहार	3,259,041
5	छत्तीसगढ़	749,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	387,501
10	झारखंड	1,530,708
11	कर्नाटक	356,974
12	मध्य प्रदेश	1,984,264
13	महाराष्ट्र	1,517,922
14	मणिपुर	102,748
15	मेघालय	199,839
16	मिजोरम	27,970
17	नागालैंड	132,507
18	ओडिशा	2,452,444
19	पुडुचेरी	912
20	पंजाब	3,477
21	राजस्थान	1,862,736
22	सिक्किम	14,900
23	तमिलनाडु	2,170
24	तेलंगाना	515,084
25	त्रिपुरा	139,090
26	उत्तर प्रदेश	7,980,568
27	उत्तराखंड	248,751
28	पश्चिम बंगाल	732,290
	<b>कुल</b>	<b>26,284,350</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4175

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

लोवर सुबनसरी जल विद्युत परियोजना

**4175. श्री पल्लव लोचन दास:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने जल विद्युत परियोजना से जुड़े सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में लोवर सुबनसरी जल विद्युत परियोजना (एलएसएचईपी) से संबंधित राज्य समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त विद्युत परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और
- (घ) पूरी परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और परियोजना में विलंब के कारण कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : सुबानसरी जल विद्युत परियोजना के लिए असम राज्य सरकार द्वारा कोई समिति गठित नहीं की गई है।

तथापि, परियोजना के सुरक्षा पहलुओं तथा डाउनस्ट्रीम प्रभाव की जांच करने के लिए भारत सरकार और एनएचपीसी द्वारा समय-समय पर विभिन्न तकनीकी समितियां/समूहों जैसे विशेषज्ञ समूह (ईजी), तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी), संयुक्त स्थायी समिति (जेएससी), बांध डिजाइन समीक्षा पैनल (डीडीआरपी) तथा परियोजना निगरानी समिति (पीओसी) गठित की गई थी। इसी दौरान, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष दो याचिकाएं दायर की गई थीं। माननीय एनजीटी ने एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने तथा रख-रखाव के लिए तात्कालिक स्वरूप के कार्यों एवं जनसुरक्षा प्रयोजन को छोड़कर परियोजना का निर्माण कार्य बंद करने के लिए एमओईएफएंडसीसी को निर्देश दिए। यह विशेषज्ञ समिति एमओईएफएंडसीसी द्वारा दिनांक 27.11.2017 को गठित की गई थी। समिति ने 26.03.2019 को एमओईएफएंडसीसी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) द्वारा किया गया है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए माननीय एनजीटी के अंतिम आदेश के अध्यक्षीय सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। यह मामला माननीय एनजीटी में अब भी न्यायाधीन है।

(ग) : परियोजना कार्य पुनःआरंभ होने के पश्चात 4 वर्ष के भीतर चालू किए जाने की संभावना है।

(घ) : वर्ष 2003 में परियोजना के लिए 6,285 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2002 का मूल्य स्तर) के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया था। परियोजना की अनुमानित संशोधित लागत 20850.67 करोड़ रुपए (अप्रैल, 2019 का मूल्य स्तर) है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4197

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

4197. श्री टी.आर.वी.एस. रमेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का तमिलनाडु के कुड्डालोर क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात विद्युत का उत्पादन लाइसेंसमुक्त हो गया है और ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की प्रौद्योगिक-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। इसलिए, ताप विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय/सीईए में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तमिलनाडु के कुड्डालोर क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4202

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

गाँवों का विद्युतीकरण

4202. श्रीमती दिया कुमारी:

श्रीमती रीती पाठक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि व्यय की गई है;

(ग) राजस्थान राज्य के पाली, अजमेर, नागौर और राजसमंद जिले में कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है;

(घ) बाकी गाँवों का कब तक विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कितने घंटे विद्युत आपूर्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और देश के प्रत्येक राज्य में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28.04.2018 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के पाली, अजमेर, नागौर और राजसमंद जिलों सहित संपूर्ण देश के सभी आवासित जनगणना गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2018-19 के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 19,779 जनगणना गाँवों का विद्युतीकरण किया गया था। 41,600 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को संवितरित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार विद्युतीकृत गांव और संवितरित निधियां क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दी गई हैं।

(ङ) : सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटीयों के अधिकार-क्षेत्र में आती है। सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने अप्रैल, 2019 से सभी घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता-जापन (एमओयू) किए हैं। भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के घंटों की राज्य-वार संख्या अनुबंध-III में दी गई है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-I**

लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4202 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले पांच वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवासित जनगणना गांवों का राज्यवार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,590
2	असम	2,922
3	बिहार	3,247
4	छत्तीसगढ़	1,145
5	हिमाचल प्रदेश	34
6	जम्मू और कश्मीर	138
7	झारखंड	2,744
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	508
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	558
12	मेघालय	1,094
13	मिजोरम	101
14	नागालैंड	88
15	ओडिशा	3,294
16	राजस्थान	497
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,557
19	उत्तराखंड	95
20	पश्चिम बंगाल	22
	<b>कुल</b>	<b>19,779</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4202 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले पांच वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्यवार संवितरित निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल
1	आंध्र प्रदेश	518
2	अरुणाचल प्रदेश	433
3	असम	2539
4	बिहार	6667
5	छत्तीसगढ़	1130
6	गुजरात	505
7	हरियाणा	53
8	हिमाचल प्रदेश	43
9	जम्मू और कश्मीर	607
10	झारखंड	2561
11	कर्नाटक	871
12	केरल	294
13	मध्य प्रदेश	2769
14	महाराष्ट्र	925
15	मणिपुर	205
16	मेघालय	238
17	मिजोरम	109
18	नागालैंड	148
19	ओडिशा	3335
20	पंजाब	57
21	राजस्थान	2627
22	सिक्किम	39
23	तमिलनाडु	433
24	तेलंगाना	158
25	त्रिपुरा	349
26	उत्तर प्रदेश	11342
27	उत्तराखंड	392
28	पश्चिम बंगाल	2245
29	गोवा	3
30	दादरा व नागर हवेली	1
31	पुडुचेरी	1
32	अंडमान निकोबार	1
	<b>कुल</b>	<b>41600</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4202 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की स्थिति

मई, 2019 के दौरान

क्रम सं.	राज्य	ग्रामीण क्षेत्रों को एक दिन में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे
1	आंध्र प्रदेश	23.92
2	अरुणाचल प्रदेश*	14.30
3	असम	19.00
4	बिहार	22.07
5	छत्तीसगढ़	23.00
6	गुजरात	24.00
7	हरियाणा	17.88
8	हिमाचल प्रदेश	24.00
9	जम्मू और कश्मीर	15.00
10	झारखंड	17.83
11	कर्नाटक	18.63
12	केरल	24.00
13	मध्य प्रदेश	23.78
14	महाराष्ट्र	24.00
15	मणिपुर	22.25
16	मेघालय	17.50
17	मिजोरम	16.10
18	नागालैंड	21.00
19	ओडिशा	20.08
20	पंजाब	24.00
21	राजस्थान	21.00
22	सिक्किम *	17.13
23	तमिलनाडु *	24.00
24	तेलंगाना	24.00
25	त्रिपुरा	23.50
26	उत्तर प्रदेश*	17.89
27	उत्तराखंड	23.95
28	पश्चिम बंगाल	24.00

\* अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के लिए आंकड़े 2019 तक लिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4204

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

कार्बन मुक्त विद्युत उत्पादन

4204. श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में विद्युत उत्पादन की स्थिति क्या है और इसकी मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) विद्युत उत्पादन के स्रोतों और उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी दस वर्षों में किन स्रोतों के द्वारा कार्बन मुक्त विद्युत के उत्पादन की संभावना है और इन स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन किया जाना निर्धारित किया गया है;

(घ) इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : चालू वर्ष 2019-20 के दौरान देश में स्रोत-वार विद्युत उत्पादन और कुल विद्युत उत्पादन में उनकी क्षमता तथा देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

**(ग) और (घ) :** जल विद्युत, नाभिकीय और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन और बायोमास सहित) मुख्य स्रोत हैं जो आगामी दस वर्षों में कार्बन रहित विद्युत का उत्पादन करेंगे।

विद्युत का उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्यकलाप है और कोई उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय संबंधित उत्पादक द्वारा मांग के मूल्यांकन पर आधारित होता है। अतः आगामी दस वर्षों के लिए कोई लक्ष्य नहीं किया गया है। तथापि, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा आधारित 175 गीगावाट संस्थापित क्षमता का संचयी लक्ष्य निर्धारित किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

- प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए सौर और पवन विद्युत के प्रापण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए;
- वर्ष 2021-22 तक नवीकरणीय क्रय उत्तरदायित्व (आरपीओ) घोषित किया गया है;
- राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति घोषित की गई;
- पवन विद्युत परियोजनाओं को प्रेरित करने की नीति अधिसूचित की गई;
- सोलर फोटो वोल्टेक प्रणालियों/उपस्करों के विकास के लिए मानक अधिसूचित किए गए;
- मार्च, 2022 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली प्रभारों तथा सौर एवं पवन विद्युत की अंतर्राज्यीय बिक्री की हानियों हेतु छूट दी गई है।

**(ङ) और (च) :** विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत विद्युत उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्यकलाप है। विद्युत उत्पादन परियोजनाएं विद्युत की मांग तथा प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक व्यावहार्यता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न यूटिलिटियों और राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा स्थापित की जाती हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान और महाराष्ट्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं और नाभिकीय परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4204 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्तमान वर्ष 2019-20 (जून, 2019 तक\*) के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन में स्रोत-वार उत्पादन और क्षमता

स्रोत	30.06.2019 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट में)	उत्पादन 2019-20 (जून, 2019 तक मिलियन यूनिट)
थर्मल	226324.34	287690.9
न्यूक्लियर	6780.00	10971.43
हाइड्रो	45399.22	39548.8
भूटान से आयात	-	932.8
<b>कुल (पारंपरिक)</b>	<b>278503.56</b>	<b>339143.93</b>
नवीकरणीय स्रोत	79792.38	35525
<b>कुल जोड़ (पारंपरिक+नवीकरणीय)</b>	<b>358295.94</b>	<b>374668.93</b>

\* वास्तविक-सह-मूल्यांकन पर आधारित अनंतिम

टिप्पणी: 1. सकल उत्पादन केवल 25 मेगावाट एवं उससे अधिक के पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) स्टेशनों से है।

2. 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 79372 मेगावाट है।

अप्रैल-जून, 2019 के दौरान देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति\*

ऊर्जा (मिलियन यूनिट)				व्यस्ततम (मेगावाट)			
ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
एमयू	एमयू	एमयू	%	मेगावाट	मेगावाट	मेगावाट	%
347,771	346,208	1,563	0.4	183,673	182,533	1,140	0.6

\*अनंतिम

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 18.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4204 के भाग (ड) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

राजस्थान, महाराष्ट्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं और न्यूक्लियर परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	स्रोत/ईंधन	चालू होने की संभावना
महाराष्ट्र	कोयना लेफ्ट बैंक	2x40=80	हाइड्रो	2022-23 *
राजस्थान	राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट (यूनिट 7 व 8)	2x700=1400	न्यूक्लियर	2021-22

\* कार्या के पुनः शुरू होने से संबद्ध।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4209

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्रक रूपरेखा

4209. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विद्युत क्षेत्रक हेतु रूपरेखा बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल में उक्त प्रयोजन हेतु कंपनी कार्यकारियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सभी को सस्ती और बाधारहित विद्युत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : वित्तीय रूप से व्यवहार्य, पर्यावरणीय रूप से स्थिर तथा बाजार परिचालित विद्युत क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने एवं ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने तथा सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र के लिए 'फाईव ईयर विजन डॉक्यूमेंट' तैयार करने का निर्णय लिया गया है। विद्युत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्यों में अन्य बातों के साथ-साथ स्थिरता एवं ऊर्जा सुरक्षा के लिए इष्टतम स्रोतों को मिलाना, विद्युत

क्षेत्र निकायों की वित्तीय व्यवहार्यता तथा दक्ष, पारदर्शी विद्युत बाजारों का विकास शामिल है। विजन डॉक्यूमेंट में इस मंत्रालय के उक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नीतिगत पहले, मुख्य निष्पादन सूचक (केपीआई) शामिल होंगे।

**(ग) और (घ) :** 1 जुलाई, 2019 को विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य पणधारकों अर्थात् भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, विद्युत उत्पादन कंपनियों, विद्युत वितरण कंपनियों, उद्योग संघों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा ऊर्जा विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में विद्युत क्षेत्र द्वारा सामना की गई मुख्य चुनौतियों तथा विजन डॉक्यूमेंट में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों तथा कार्य नीतियों पर चर्चा की गई थी।

**(ङ) :** विद्युत की आपूर्ति राज्य सरकारों/डिस्कॉमों/विद्युत यूटिलिटियों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। तथापि भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राज्यों को उनकी वितरण अवसंरचना में सुधार करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कई योजनाएं जैसे- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4280

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

बिजली की उच्च कीमतें

4280. श्री ए. गणेशमूर्ति:

श्री प्रतापराव जाधव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में बिजली की कीमतें बेहद अधिक हैं और आम जनता के लिए वर्ग के लोगों को बिजली के मासिक बिल का भुगतान करना कठिन हो रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का उपभोक्ताओं हेतु सुरक्षोपाय करने के लिए बिजली की कीमतों में कमी करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत की खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ निर्धारण का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) का है। टैरिफ विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए टैरिफ विनियम के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है। टैरिफ विनियम उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के साथ-साथ औचित्यपूर्ण तरीके से विद्युत की लागत की वसूली सहित विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के उपबंध के अनुसार राज्य सरकारें उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में, जिस सीमा तक वे उपयुक्त समझें, सब्सिडी दे सकती हैं।

(ग) से (ङ) : भारत सरकार ने अंतिम उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की कीमत कम करने हेतु डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक तथा वित्तीय दक्षता में सुधार करने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय), विद्युत का प्रतिस्पर्धी प्रापण, कोयला लिंकेज का युक्ति संगतिकरण, उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करने हेतु ताप विद्युत स्टेशनों की फ्लेक्सिबिलिटी तथा शेड्यूलिंग आदि जैसी विभिन्न पहल की हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4282

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

हिमालयी क्षेत्रों को जल विद्युत परियोजनाओं का अध्ययन

**4282. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों में जिनमें भौगोलिक अस्थिरता और मौसम से संबंधित आपदाएं, जो पूर्व में घटित हुई हैं, जैसे अचानक बाढ़, बादल फटना सम्मिलित हैं, जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का अध्ययन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उन जल विद्युत विकास कार्यों, जो हानिकारक हैं, को बचाने के लिए कदम उठाने और इस संबंध में प्रचालन संबंधी विनियमन तथा गवर्नेंस संस्थाएं स्थापित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। तथापि, जल विद्युत परियोजना का कार्य शुरू करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, भावी परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा विस्तृत भू-वैज्ञानिक और भू-तकनीकी अध्ययन/जांच की जाती है और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाती है जिसमें जल विज्ञान सहित परियोजना विकास के सभी संगत क्षेत्र शामिल होते हैं तथा आकस्मिक बाढ़, बादल फटना, सुरक्षा और भू-वैज्ञानिक स्थिरता, पर्यावरण और वनों पर प्रभाव, परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना आदि सहित ऐतिहासिक आंकड़े शामिल होते हैं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4283

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

नई विद्युत प्रशुल्क नीति

4283. श्री ए.के.पी. चिनराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्युत की नई दरों संबंधी नीति तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई विद्युत दर नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) नई नीति के कब तक लागू होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : टैरिफ नीति का संशोधन प्रारूप दिनांक 30.05.2018 को टिप्पणियों हेतु पणधारकों को परिचालित किया गया था। टैरिफ नीति में प्रस्तावित संशोधनों में अन्य मुद्दों के अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र की धारणीयता सुनिश्चित करना, वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय सरोकारों का समाधान करना, निष्पादन में सुधार करना, दक्षता और जवाबदेही प्रमुख बिंदु हैं। एक संशोधित टैरिफ नीति के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4289

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

अंतर्राज्यीय पारेषण नेटवर्क हेतु पीएसडीएफ का उपयोग

4289. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान पारेषण लाइनों की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का इन पारेषण लाइनों को उनकी पूर्ण क्षमता पर चलाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंत-क्षेत्रीय पारेषण गलियारे में बाधाओं के कारण गुजरात राज्य सरकार विद्युत घाटे में चल रहे राज्यों को अधिशेष विद्युत की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास विद्युत घाटे में चल रहे राज्यों के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गुजरात राज्य सरकार ने पर्याप्त अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लिंक के निर्माण के लिए विद्युत प्रणाली विकास कोष (पीएसडीएफ) में पड़ी धनराशि का उपयोग करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या केन्द्र सरकार का अंतर्राज्यीय पारेषण नेटवर्क स्थापित करने हेतु पीएसडीएफ का उपयोग करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : 30.06.2019 तक की स्थिति के अनुसार देश में 220 केवी एवं इससे अधिक के वोल्टेज स्तर की पारेषण लाइनों का कुल सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) 4,15,517 सीकेएम है।

(ख) : पारेषण लाइनों को जहां कहीं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के विनियमों/मानकों के अनुसार स्वीकार्य है, उनकी पूरी क्षमता तक चलाया जाता है। तथापि, कुछ

मामलों में पारेषण लाइनों पर भार को वोल्टेज की स्थिरता, कोणीय स्थिरता, लूप फ्लोज, भार प्रवाह पद्धति एवं ग्रिड में सबसे कमजोर लिंक के भार को ध्यान में रखते हुए सीमित किया जाता है।

(ग) : वर्तमान में, गुजरात के विभिन्न विद्युत उत्पादन स्टेशनों से विभिन्न लाभग्राही राज्यों को दीर्घकालिक आवंटित विद्युत के अंतरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) में कोई बाधा नहीं है।

(घ) : आईएसटीएस नेटवर्क का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और प्रचालनात्मक बाधाओं आदि को दूर करने के लिए नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के क्रियान्वयन, विद्युत की बढ़ती हुई मांग के आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। कई पारेषण लाइनें कार्यान्वयनाधीन हैं जो संसाधन से सम्पन्न पश्चिमी क्षेत्र से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत के अंतरण को सुविधाजनक बनाएंगी। इन पारेषण लाइनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- (i) वरौरा-वारंगल 765 केवी डी/सी लाइन।
- (ii) 600 मेगावाट,  $\pm 800$  केवी रायगढ-पुगालुर एचवीडीसी बायपोल लाइन।
- (iii)  $\pm 800$  केवी चम्पा-कुरुक्षेत्र एचवीडीसी बायपोल लाइन का 3000 मेगावाट से 6000 मेगावाट में उन्नयन।
- (iv) विंध्याचल-वाराणसी 765 केवी डी/सी लाइन।

(ङ) और (च) : गुजरात के प्रस्तावों के आधार पर 9 स्कीमों का अनुमोदन किया गया है जिनके लिए लगभग 400 करोड़ रुपये संस्वीकृत कर दिये गए हैं।

पीएसडीएफ का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:

- अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली- (आईएसटीएस) तथा अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली, जो आईएसटीएस के आनुषंगिक हों, में संकुलन दूर करने के लिए कार्यनीतिक महत्व की पारेषण प्रणालियों का सृजन।
- ग्रिड में वोल्टता प्रोफाइल के सुधार के लिए शंट कैपिसिटर्स, सीरीज कॅपेसेटर्स तथा अन्य रिएक्टिव ऊर्जा उत्पादकों की संस्थापना।
- मानक एवं विशेष संरक्षण स्कीमों, पायलट तथा प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं, क्षेत्रीय आधार पर संरक्षण लेखापरीक्षाओं में अभिज्ञात विसंगतियों को सही करने वाली परियोजनाओं, फेजर मापन इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना सहित किसी संचार/मापन/निगरानी स्कीम की संस्थापना।
- संकुलन दूर करने के लिए पारेषण प्रणाली का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएण्डएम)।
- उपरोक्त उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने की कोई अन्य स्कीम/परियोजना जैसे कि तकनीकी अध्ययन कराना एवं क्षमता निर्माण आदि।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4292

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों में खेत के फसल अवशेषों का उपयोग

4292. श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने एक विद्युत संयंत्र में कुल ईंधन के 10 प्रतिशत तक खेत में फसल अवशेषों के मिश्रण को कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या खेत की पराली के मिश्रण से सकल कैलोरी मान के सन्दर्भ में दक्षता प्रभावित होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या एनटीपीसी ने परीक्षण पूरा कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या एनटीपीसी ने अपने सभी संयंत्रों में धीरे-धीरे खेत के फसल अवशेषों के मिश्रण की योजना का विस्तार करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या विद्युत संयंत्रों में खेत के फसल अवशेषों के उपयोग से बिजली उत्पादन लागत में वृद्धि होगी; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने कोयले के साथ 5-10% कृषि अवशेष आधारित पैलेटों का प्रयोग करने के लिए सभी कोयला आधारित संयंत्रों को नवम्बर, 2017 में परामर्शिका जारी की है। सीईए ने पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के लिए तकनीकी विनिर्दिष्टि भी जारी की है। तदनुसार, 200 मेगावाट की एक यूनिट में उपयुक्त संशोधन करने के पश्चात 100 मीट्रिक टन बायोमास पैलेटों के साथ एनटीपीसी द्वारा अपने दादरी संयंत्र में बायोमास सह-प्रज्ज्वलन हेतु परीक्षण किया गया था।

**(ख) :** फार्म की भूसे की पैलेटों को मिश्रित करने की दक्षता पर पड़ने वाले प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालीन बायोमास सह-प्रज्वलन की आवश्यकता होती है।

**(ग) :** 200 मेगावाट की एक यूनिट में उपयुक्त संशोधन करने के पश्चात 100 मीट्रिक टन बायोमास पैलेटों के साथ सितम्बर, 2017 से परीक्षण प्रचालन किया गया था। एनटीपीसी अब वाणिज्यिक स्तर पर बायोमास सह-प्रज्वलन शुरू करने के लिए कदम उठा रहा है जिसके लिए प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों की खरीद का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है तथा आंशिक आपूर्ति शुरू हो गई है।

**(घ) :** एनटीपीसी के अधिकांश विद्युत संयंत्रों जिनमें झज्जर में इसका संयुक्त उद्यम शामिल है, में बायोमास सह-प्रज्वलन शुरू करने के लिए एनटीपीसी ने धान की पराली तथा अन्य कृषि अवशेष के पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों की आपूर्ति करने के लिए उद्यमियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की थी। ईओआई के माध्यम से लगभग 109 पार्टियां सूचीबद्ध की गई हैं। एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों को पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों की आपूर्ति करने के लिए सूचीबद्ध पार्टियों से बोलियां शीघ्र आमंत्रित की जाएंगी।

**(ड) और (च) :** विद्युत संयंत्रों में फार्म की भूसा आधारित पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के प्रयोग से उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। विद्युत के परिवर्तनशील प्रभार में वृद्धि बायोमास तथा कोयले के बीच मूल्य के अंतर पर निर्भर करेगी और इस प्रकार यह भिन्न-भिन्न संयंत्रों के लिए भिन्न-भिन्न होगी। (कृषि अवशेष आधारित बायोमास पैलेटों/टोरिफाइड बायोमास पैलेटों/ब्रिकवेट्स का मूल्य निविदा के जरिए निर्धारित किया जाएगा) इसके अतिरिक्त, बायोमास सामग्री संभाल अवसंरचना के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण निर्धारित प्रभार में मामूली वृद्धि होगी।

\*\*\*\*\*